आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई मे टिप्पणी तारीख के साथ
	शस्त्रवाद 117/14	
11/12/2014	**सारण समाहरणालय, छपरा।** **न्यायालय जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा।** **जिला विधि प्रशाखा** **सुनील कुमार शर्मा, पिता-श्रीमन शर्मा, सा0-ब्रह्मपुर, थाना-भगवान बाजार, जिला-सारण** **आदेश** प्रस्तुत शस्त्रवाद पुलिस अधीक्षक, सारण के पत्रांक 5448/गो0 9.12.14 के द्वारा आवेदक सुनील कुमार शर्मा, पिता-श्रीमन शर्मा, सा0-ब्रह्मपुर, थाना-भगवान बाजार, जिला-सारण का एक पिस्टल/रिवाल्वर की अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन पत्र के साथ प्राप्त पुलिस जाँच के उपरान्त आरम्भ किया गया है। आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता की उपस्थिति में सुना एवं अभिलेख में संधारित पुलिस जॉच प्रतिवेदन का भी अवलोकन किया। आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि वे जमीन खरीद एवं बिक्री का कार्य करते हैं, इन्हें पैसा के लेन-देन हेतु बराबर बाहर जाना पड़ता है। इसलिए अपने जानमाल पर खतरे की आशंका को देखते हुए एक पिस्टल/रिवाल्वर की अनुज्ञप्ति प्रदान करने का अनुरोध किया गया। आवेदक के द्वारा दिए गए आवेदन पर जॉचोपरान्त पुलिस निरीक्षक-सह-थानाध्यक्ष, भगवार बाजार के ज्ञापांक 2227 दिनांक 30.10.14 के द्वारा विहित प्रपत्र में अपना प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है। तत्पश्चात् अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, छपरा के पत्रांक 2027 दिनांक 9.12.14 के द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन को पुलिस अधीक्षक, सारण के पत्रांक 5448/गो0 दिनांक 9.12.14 के द्वारा प्रेषित किया गया। अभिलेख में रक्षित कागजातों के परिसीलन एवं आवेदक को सुनने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि पुलिस अधीक्षक, सारण के द्वारा अपने प्रतिवेदन में आवेदक के उपर व्याप्त खतरे के मद्देनजर उन्हें शस्त्र की अनुज्ञप्ति देने की अनुशंसा की गयी है। आवेदक के उपर खतरे की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार पुलिस निरीक्षक-सह-थानाध्यक्ष भगवान बाजार, अनुमंडल	

	पदाधिकारी, सदर, छपरा एवं पुलिस अधीक्षक, सारण के प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर आवेदक के जानमाल की सुरक्षा के लिए शस्त्र अधिनियम की धारा 13 (2–ए) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक V-11016/16/2009-Arms dated 31-3-2010 जो गृह आरक्षी विभाग, बिहार सरकार के ज्ञापांक 3026 दिनांक 13.4.2010 के द्वारा प्राप्त है, के आलोक में आवेदक सुनील कुमार शर्मा, पिता–श्रीमन शर्मा, सा0–ब्रह्मपुर, थाना–भगवान बाजार, जिला–सारण को सम्पूर्ण बिहार क्षेत्र में वैधता के साथ एक रिवॉल्वर की अनुज्ञप्ति की स्वीकृति प्रदान की जाती है। वाद निष्पादित। लेखापित एवं संशोधित जिला दण्डाधिकारी सारण, छपरा। जिला दण्डाधिकारी सारण, छपरा।	

ज्ञापांक 1060 दिनांक 15/12/14

प्रतिलिपिः–पुलिस अधीक्षक,सारण,छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–जिला शस्त्र दण्डाधिकारी, सारण,छपरा को अभिलेख मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपः– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0,सारण,छपरा को इस जिले के वेबसाइट पर उक्त आदेश को निदेशानुसार अपलोड करने हेतु प्रेषित।

वरीय उप समाहर्ता
जिला विधि शाखा,सारण,छपरा।
15/12/14